विद्युत लोकपाल

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0026312

श्री दिनकर प्रसाद द्विवेदी वल्द गयाप्रसाद द्विवेदी, — आवेदक
ग्राम पो0 मुकुन्दपुर, तह. अमरपाटन,
जिला – सतना (म.प्र.)

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संचा. संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.)

— अनावेदक

कार्यपालन यंत्री (संचा. संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
मैहर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 26.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 322/2011 श्री दिनकर प्रसाद द्विवेदी वल्द गयाप्रसाद द्विवेदी विरूद्ध अधीक्षण यंत्री में पारित आदेश दिनांक 17.10.2011 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम के आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, अतः कार्यवाई कराई जाए ।

3. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त समाधान योजना की जानकारी अनावेदक द्वारा उपभोक्ता को नहीं दी गई तथा इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है, अतः उक्त योजना के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि में से 25 प्रतिशत राशि की छूट का लाभ उपभोक्ता को दिया जाए ।

4. अनावेदक की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया है कि गया प्रसाद द्विवेदी जिसका उत्तराधिकारी आवेदक है, को छूट की पात्रता नहीं थी । फोरम ने समाधान योजना में उल्लिखित तथ्यों पर

विचार किए बिना छूट दिए जाने का आदेश दिया है, अतः उपभोक्ता का निवेदन निरस्त किए जाने योग्य है ।

5. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक ने फोरम के आदेश का पालन नहीं किया है और पालन न करने का कारण यह बताया है कि फोरम का आदेश गलत है, जबकि फोरम के आदेश के विरूद्ध अपील या अभ्यावेदन करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को नहीं है तथा फोरम का आदेश अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी है । अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष यह विकल्प था कि यदि फोरम का आदेश विधिसंगत नहीं था तो वह इस बात का प्रतिवेदन विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था, परन्तु अनावेदक द्वारा ऐसा किया जाना नहीं पाया जाता है ।

6. अतः आवेदक का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक जो कि अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि हैं, फोरम के आदेश का पालन 3 माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें ।

7. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल